

## अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5

### उद्देश्य :-

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बैगा, भारिया, सहरिया जाति के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

### प्रावधान :-

कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को 15 प्रतिमाह की दर से 10 माह का 150/-

### कौन लाभ ले सकता है?

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्रा

### योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. किससे संपर्क करें।                  | संस्था प्रमुख प्रधान पाठक           |
| 2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें। | विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/संस्था से |
| 3. आवेदन करने का तरीका ।               | निर्धारित आवेदन प्रारूप में         |
| 4. आवश्यक दस्तावेज।                    | जाति प्रमाण पत्र।                   |

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास डिण्डौरी  
जिला डिण्डौरी